



JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Balliey Road, Patna – 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp

Ref: BRLPS/ Project/454/13/vol-II/835

Date: 15-06-19

Office Order towards 'Ekranama'

JEEVIKA project is engaged in the universal mobilisation of rural poor women and in formation and nurturing of strong community institutions viz., SHGs which federate into different levels to unleash the benefits to the SHG women. These community based organisations are involved in socio-economic empowerment of members through providing access to livelihood opportunities, entitlements and convergence with different line departments.

The project has also formed Training Learning Centres (TLCs) at the district level for strengthening the qualities of its member CBOs, community cadres and community professionals (CPs) by providing them continuous capacity building support. For day to day functioning of TLCs, they select cadres to assist them and provide required orientation trainings by the project. At present these cadres are supporting in conduction of meetings, updating books of records, orientation training etc. to the concerned CBOs.

These Cadres facilitate and nurture TLCs, improve and maintain its quality. TLCs are also involved in selection, review and payment of cadres. Cadre work in close interaction with CBOs, support them in decision making including financial and non-financial aspects. Cadres submit their report to the concerned TLC and after proper review, CBOs norms, a new agreement copy or 'ekranama' has been developed.

All districts are requested to facilitate the agreement of cadre viz, TLC Coordinators, TLC BookKeepers, TLC Facilitators in new agreement format (*attached with the letter*). The agreement needs to be reviewed and renewed on yearly basis by the concerned TLCs.


(Balamurugan D.)

Chief Executive Officer-Cum-State Mission Director

Encl.:

1. Agreement Copy (3 in no.)

Copy to:

1. All DPMs/ Thematic Managers/ FMs/ Manager-ICBs/ TOs/ BPMs.
2. All PCs/ SFMs/ SPMs/ PMs/AFMs.
3. OSD/ Director/ CFO/ PS/ PO/ AO.
4. IT Section.
5. Concerned File.

यह एकरारनामा, आज दिनांक को जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र, पता प्रथम पक्ष)

एवं

श्री /श्रीमती उम पिता / पति
पता - (द्वितीय पक्ष)
के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामा के तहत ".....जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र" के द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' (TLC) के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य बिन्दुओं पर 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' के रूप में अंशकालिक तौर पर अनुबंधित करती है ।

1. यह कि 'शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र' (TLC) श्री /श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के सेवार्थ /सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है ।
2. यह कि श्री /श्रीमती (प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' का कार्यक्षेत्र होगा ।
3. यह कि श्री /श्रीमती (प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल) को यह सुनिश्चित करना कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' का खाता-बही (Books of Record) को अद्यतन रखना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सभी तरह के कागजात एवं प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक मंडल के पास स्वीकृति के लिए रखना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट तैयार कर निदेशक मंडल से अनुमोदन / स्वीकृति लेना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के ऑडिट अनुपालन (Compliance) प्रतिवेदन तैयार करना एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' का वार्षिक आम सभा करवाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - मार्गदर्शिका के आधार पर कार्य करना एवं 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र से सम्बंधित कैंडर पालिसी' तथा उसमें हुए संशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को ससमय पूरा करना है ।
4. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' को 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' / परियोजना द्वारा देय होगा ।
5. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र से सम्बंधित कैंडर पालिसी' तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार देय होगा ।
6. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' को प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र एक माह के नोटिस में कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के नियम-कानून का उलंघन करता / करती हो, प्रशिक्षण एवं शिक्षणकेंद्र का विश्वास खो चुका / चुकी हो एवं बिना सूचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो ।
7. यह कि यदि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता है ।
8. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - लेखापाल' (TLC-Bookkeeper)' निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृत्तिक एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
9. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र (TLC) द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
10. यह कि श्री /श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ /पढ़ा कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है ।

.....
हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

गवाह 1.
2.

सचिव ----- अध्यक्ष -----

हस्ताक्षर एवं मुहर - प्रशिक्षण एवं शिक्षणकेंद्र समन्वयक(प्रथम पक्ष)

गवाह 1.
2.

एकरारनामा

यह एकरारनामा, आज दिनांक को जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र, पता (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री /श्रीमती उम्र पिता / पति
पता - (द्वितीय पक्ष)
के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामा के तहत ".....जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र" के द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' (TLC) के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य बिन्दुओं पर 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC-Coordinator) के रूप में अंशकालिक तौर पर अनुबंधित करती है ।

1. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण' (TLC) केंद्र श्री /श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के सेवार्थ /सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है ।
2. यह कि श्री /श्रीमती (प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का कार्यक्षेत्र होगा ।
3. यह कि श्री /श्रीमती (प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक) को यह सुनिश्चित करना कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' प्रतिदिन प्रभावी ढंग से कार्य करे एवं उससे सम्बंधित बैठक को सुनियोजित ढंग से करवाते हुए बैठक में एजेंडा का निर्धारण सही ढंग से करवाना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का वार्षिक आम सभा करवाना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के योजनानुसार प्रशिक्षण - तालिका बनाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एवं व्यवस्था करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र को कार्यालय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन (कैडर) प्रबंधन में सहयोग करना, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सभी तरह के कागजात एवं प्रतिवेदन समय पर तैयार करना, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' का वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट तैयार कर निदेशक मंडल /कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन /स्वीकृति लेना, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के ऑडिट अनुपालन (Compliance) प्रतिवेदन तैयार करना, नियमित रूप से MIS को अद्यतन करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - मार्गदर्शिका के आधार पर कार्य करना एवं 'क्लस्टर फेसिलिटेटर पालिसी' तथा उसमें हुए संशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को ससमय पूरा करना है ।
4. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC- Coordinator) को 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' / परियोजना द्वारा देय होगा ।
5. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC- Coordinator) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक पालिसी' तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार देय होगा ।
6. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC- Coordinator) को प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र एक माह के नोटिस में कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के नियम-कानून का उलंघन करता / करती हो, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का विश्वास खो चुका / चुकी हो एवं बिना सूचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो ।
7. यह कि यदि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC- Coordinator) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता है ।
8. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC- Coordinator) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृत्तिक एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
9. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र (TLC) द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
10. यह कि श्री /श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ /पढ़ा कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है ।

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

गवाह 1. -----

2. -----

सचिव ----- अध्यक्ष -----

हस्ताक्षर एवं मुहर - प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक(प्रथम पक्ष)

गवाह 1. -----

2. -----

यह एकरारनामा, आज दिनांक को जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र, पता प्रथम पक्ष)

एवं

श्री /श्रीमती उम पिता / पति
पता - (द्वितीय पक्ष)

के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामा के तहत ".....जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र" के द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' (TLC) के सेवार्थ / सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य बिन्दुओं पर 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) के रूप में अंशकालिक तौर पर अनुबंधित करती है ।

1. यह कि 'शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र' (TLC) श्री /श्रीमती को प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के सेवार्थ /सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर 11 माह के लिए अनुबंधित करती है ।
2. यह कि श्री /श्रीमती (प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर) का कार्यक्षेत्र सम्बंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का कार्यक्षेत्र होगा ।
3. यह कि श्री /श्रीमती (प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर) को यह सुनिश्चित करना कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के योजना अनुसार सामुदायिक संगठन तथा उनके कैंडरों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम बने और उसके आधार पर प्रशिक्षण का आयोजन हो, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' में संकुल संघ से रिसोर्स कम्प्युनिटी प्रोफेशनल का डेटा लेकर ग्रेडिंग के आधार पर उसका अद्यतन करना, सामुदायिक संसाधन सेवी एवं कैंडरों का रिसोर्स पूल बनाना और उनके साथ समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन करना, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक' (TLC-Coordinator) के कार्यों में सहयोग करना, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' एवं संकुल संघ स्तर पर रिसोर्स पूल के सदस्यों का सर्विस पुस्तिका एवं मानदेय पुस्तिका को अद्यतन करना तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - मार्गदर्शिका के आधार पर अन्य कार्य करना एवं 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' से सम्बंधित कैंडर पालिसी तथा उसमें हुए संशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को ससमय पूरा करना है ।
4. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) को 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' / परियोजना से सम्बंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' / परियोजना द्वारा देय होगा ।
5. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के द्वारा प्रतिमाह समीक्षा के उपरांत 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' से सम्बंधित कैंडर पालिसी तथा सम्बंधित पालिसी के अनुसार देय होगा ।
6. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) को प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र एक माह के नोटिस में कार्य से विमुक्त कर सकता है यदि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) गैरकानूनी या वित्तीय अनियमितता के कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो, 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' के नियम-कानून का उलंघन करता / करती हो, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का विश्वास खो चुका / चुकी हो एवं बिना सूचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो ।
7. यह कि यदि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) को पद से विमुक्त किया जाता / जाती है या वह स्वेच्छा से अपना पद त्यागता / त्यागती है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा / रहेगी, जब तक 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र' पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता है ।
8. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र - ट्रेनिंग फैसिलिटेटर' (TLC-Training Facilitator) निर्धारित कार्यों की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृत्तिक एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
9. यह कि 'प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र (TLC) द्वारा श्री /श्रीमती की सेवाओं को अनुबंधन समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंधन सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
10. यह कि श्री /श्रीमती , द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़ /पढ़ा कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया है ।

सचिव ----- अध्यक्ष -----

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर एवं मुहर - प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक(प्रथम पक्ष)

गवाह 1. -----

गवाह 1. -----

2. -----

2. -----